



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 427 ]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 28, 2000/आषाढ़ 7, 1922

No. 427]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 28, 2000/ASADHA 7, 1922

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

( सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2000

का.आ. 605(अ).—केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारत सरकार, परिवहन मंत्रालय की दिनांक 4 अप्रैल, 1957 की अधिसूचना सं. एस.आर.ओ. 1181 में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम सं. 13 और कॉलम 2 और 3 में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

1	2	3
“13	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 3(8.00 से 24.00 कि.मी. आगरा-ग्वालियर खंड को छोड़कर), सं. 7, सं. 11, सं. 19, सं. 24 [27.62 से 59.0 कि.मी. (हापुड़ बाइपास सहित गाजियाबाद हापुड़ खंड को छोड़कर)] और 148.43 से 166.65 कि.मी. (मुरादाबाद बाइपास) को छोड़कर, सं. 25 (59.500 से 75.500 कि.मी. और 11.380 से 21.800 कि.मी. (लखनऊ-कानपुर खंड को छोड़कर), सं. 26, सं. 28, सं. 72, सं. 73, सं. 75, सं. 76 और सं. 86 के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित खंड तथा राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 29, सं. 56, सं. 58, सं. 74 और सं. 87	उत्तर प्रदेश राज्य सरकार”

[फा. सं. एन एच-14012/2/ 99-पी एल]

प्रफुल्ल कुमार, महानिदेशक (सड़क विकास) एवं अपर सचिव

नोट : मूल अधिसूचना दिनांक 4 अप्रैल, 1957 को एस.आर.ओ. 1181 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी और पिछली बार इसे दिनांक 6 मार्च, 2000 को का.आ. 195(अ) द्वारा संशोधित किया गया था।

**MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT****(Department of Road Transport and Highways)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th June, 2000

**S.O. 605(E).**—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Transport in the number S.R.O. 1181, dated the 4th April, 1957, namely :—

In the said notification in the Schedule for serial number 13 and entries relating thereto in columns 2 and 3, following serial number and entries shall be substituted, namely :—

1	2	3
“13	So much of the National Highways No. 3 (excluding from km 8.00 to km. 24.00 Agra-Gwalior), No. 7, No. 11, No. 19, No. 24 [excluding from km. 27.62 to km. 59.0 (Ghaziabad-Hapur including Hapur bypass)] and excluding from km. 148.43 to km. 166.65 (Moradabad bypass), No. 25 (excluding from km. 59.500 to km. 75.500 and km. 11.380 to km. 21.800 (Lucknow-Kanpur), No. 26, No. 28, No. 72, No. 73, No. 75 No. 76 and No. 86 as are situated within the State of Uttar Pradesh and National Highways No. 29, No. 56, No. 58, No. 74 and No. 87.	State Government of Uttar Pradesh”

[F. No. NH-14012/2/99-PL]

PRAFULLA KUMAR, Director General  
(Road Development) and Addl. Secy.

**Note:** The principal notification was published in the Gazette of India vide No. S.R.O. 1181 dated the 4th April, 1957 and last amended vide notification No. S.O. 195(E) dated 6th March, 2000.